735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 735वीं बैठक दिनांक 02/04/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 8464/21 M/s Mahalaxmi Mines & Minerals, Ward No. 4, Kamour, Tehsil - Vijayraghavgarh, Dist. Katni, MP. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.468 ha. (7353 cum per annum) (Khasra No. 1179/2), Village - Mudgudi, Tehsil - Maanpur, Dist. Umariya (MP) [60991] (EIA)</u>

प्रकरण समिति की 715वीं बैठक दिनांक 19/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी ।

सिया की 833वीं बैठक दिनांक 22/02/24 के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के दोनो ओर सड़क परिलक्षित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है। अतः पक्की सड़क से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध

नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEIAA को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 02/04/24 को रखा गया, परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भरद्वाज, मे0. जेनिथ इंवारोमेंटल कंसलटेंसी, नोएड़ा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा समिति को अवगत कराया की प्रस्तावित खदान के दोनो ओर सड़क खदान की हॉलेज रोड है, समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया की पक्की सड़क के संबंध में ग्राम पंचायत /पी.डब्ल्यू.डी. या कोई अन्य एजेन्सी जो सडक को संधारण करती है , से प्रमाणिकरण कर जानकारी प्रस्तुत करें।

2. **Case No 10688/2023 Shri SATENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधकसंभागीय(कार्यालय रायसेन, Geenni Chkampaund Minakshi Chouk, Geenni Kampaund, Raisen (M.P.) Prior Environment Clearance for Motilsar Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (48000 cum per year) (Khasra No. 551), Village-Motalsir, Tehsil-Baraily, District-Raisen (MP) -B2.**

प्रकरण समिति की 715वीं बैठक दिनांक 19/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी ।

सिया की 833वीं बैठक दिनांक 22/02/24 के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

खनन् योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर खदान क्षेत्र से 516मी दूरी पर एक पक्का मेजर रोड ब्रिज परिलक्षित है । प्रस्तावित खदान के दोनो ओर सड़क परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guideline for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major briges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge /public civil structure (including water intake pointe) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream

side" अनुसार एक पक्का मेजर रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 02/04/24 को रखा गया,

जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।
समिति ने प्रकरण का पुनः परिक्षण द्वारा पाया की–

- प्रकरण समिति की 715वीं बैठक दिनांक 19/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी ।
- प्रकरण को पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति, सिया द्वारा पत्र क्रमांक 7204 दिनांक 15/03/21 को जारी हुयी थी।
- नदी के पास रोड ब्रिज संरचना स्थिति होने के कारण से समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था की, सेतु निर्माण विभाग से ब्रिज की सुरक्षा को ध्यान में रखकर दूरी का निर्धारण खनन हेतु मत प्राप्त किया जावे।
- म.प्र.लोक निर्माण सेतु विभाग का पत्र क्रमांक 6454 दिनांक 19/12/2023 के द्वारा 500. मीटर. प्रतिबंधित करते हुये रेत खनन हेतु अनुशंसा की गयी है।
- सेड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 को ध्यान में रखते हुये समिति द्वारा उक्त खदान की संवेदनशीलता के विषय पर विचार किया गया तथा रेत खनन हेतु पुनः अनुशंसा की गयी थी ।
- यदि सिया का यह अभिमत है कि Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01 कि.मी. की दूरी प्रतिबंधित रखी जाती है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में सिया द्वारा अपने स्तर पर आवश्यक नीतिगत् निर्णय लिया जा सकता है।
- ऐसे प्रकरण जिनमें 01 किमी. दूरी तक कोई संरचना निर्मित हो और यदि 01 किमी. प्रवधान रखा जाना आवश्यक हो, तो सिया स्तर पर एक पॉलिसी मेटर के रूप में निर्णय लिया जावें एवं यदि बाघ्यकारी है तो समस्त प्रकरणों में एकरूपता /समरूपता के दृष्टिकोण से एक नीतिगत् निर्णय लेकर प्रकरणों में निराकरण सिया स्तर पर किया जावें।

अतः समिति द्वारा पूर्व बैठक क्र0. 715वीं बैठक दिनांक 19/01/2024 मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

3. **Case No 10382/2023 Shri Janmejay Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Tajpura (Bapcah) Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Tajpura, Tehsil- Maksoodangarh, District-Guna (MP) [431817] (B2)**

प्रकरण समिति की 719वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी ।

सिया की 833वीं बैठक दिनांक 22/02/24 के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 36 मीटर की दूरी पर एक रपटा/ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guideline for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान S "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major briges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge /public civil structure (including water intake pointe) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार रपटा/ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.). द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति ने प्रकरण का पुनः परिक्षण द्वारा पाया की–

- प्रकरण समिति की 715वीं बैठक दिनांक 19/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी ।
- रपटा/ब्रिज होने के कारण से समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था की, सेतु निर्माण विभाग से ब्रिज की सुरक्षा को ध्यान में रखकर दूरी का निर्धारण खनन हेतु मत प्राप्त किया जावे।
- कार्यपालन यंत्री, लोक निमार्ण विभाग सेतु निमाण, ग्वालियर का पत्र क्रमांक 21 दिनांक 05/01/2024 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप

स्ट्रीम में 300–300 मी. की दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा, जिससे पुल संरक्षित रह सकें।

- समिति का यह भी मत है की ***रोड ब्रिज या अन्य छोटी संरचनाओं के दोनो ओर 01किमी.तक का क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र छोडने पर अवैध खनन् की संभावना रहेगी।***

- सेड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 को ध्यान में रखते हुये समिति द्वारा उक्त खदान की संवेदनशीलता के विषय पर विचार किया गया तथा रेत खनन हेतु पुनः अनुशंसा की गयी थी ।
- यदि सिया का यह अभिमत है कि Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01 कि.मी. की दूरी प्रतिबंधित रखी जाती है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में सिया द्वारा अपने स्तर पर आवश्यक नीतिगत् निर्णय लिया जा सकता है।
- ऐसे प्रकरण जिनमें 01 किमी. दूरी तक कोई संरचना निर्मित हो और यदि 01 किमी. प्रवधान रखा जाना आवश्यक हो, तो सिया स्तर पर एक पॉलिसी मेटर के रूप में निर्णय लिया जावें एवं यदि बाध्यकारी है तो समस्त प्रकरणों में एकरूपता /समरूपता के दृष्टिकोण से एक नीतिगत् निर्णय लेकर प्रकरणों में निराकरण सिया स्तर पर किया जावें।

अतः समिति द्वारा पूर्व बैठक क्र0. 719वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

4. <u>Case No 10146/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 2.024 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Makarkhera, Tehsil-Kasrawad, District- Khargone (MP)</u>

प्रकरण समिति की 719वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी ।

सिया की 836वीं बैठक दिनांक 01/03/24 के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण मे पर्यावरणीय मुद्दो पर विस्तृत चर्चा व पराम र्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खोदू–भरू प्रकृति है, यदपि अनुमोदित खनन योजना अनुसार खदान रिवर वेड माईनिंग की है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रकरण खोदू–भरू का है या रेत ? अतः खदान की अद्यतन जानकारी का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर SEIAA-SEAC से अनुमोदन प्राप्त किया जाये। प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेशित किया जाये । तदानुसार परियोजना प्रस्तावक का सूचित किया जाये।

जिसे आज दिनांक 02/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रकरण का परीक्षण :–

- समिति ने प्रकरण का पुनः परिक्षण द्वारा पाया की समिति की 719वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी ।
- परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्र. 01 दिनांक 01/04/24 का पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खोदू–भरू प्रकृति का होना दर्शाया गया है **परन्तु प्रस्तुत खदान नदी क्षेत्र की खदान है।**

अतः समिति द्वारा पूर्व बैठक क्र0 719वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

5. Case No 10413/2023 Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL OIC MPSMCL (प्रबंधकसंभागीय कार्यालय भोपाल (<u>172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, BHOPAL (M.P.) Prior Environment Clearance for Jirapura Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1800 cum per year) (Khasra No. 241, 299), Village-Jirapur, Tehsil-Shamshabad, District-Vidisha (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 685वीं बैठक दिनांक 03/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 813वीं बैठक दिनांक 13/10/23 के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान (प्रकरण क्र. 10413/2023) रकबा 5.00 हेक्टेयर की होना परिलक्षित है जिसके अनुसार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 10.00 हेक्टयर होता है तथा प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत प्रतीत होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये

प्रकरण का सेक समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया, उनके द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के पत्र क्रं. 202 दिनांक 12/01/24 के माध्यम से प्राप्त खदान क्षेत्र के संशोधित अक्षांश देशांश प्रस्तुत किये गये जिनको गूगल अर्थ ईमेज पर स्थापित किये गये । प्रकरण के अक्षांश देशांश भी डी.एस.आर. अनुसार स्थापित किये गये , दोनो अक्षांश देशांश के अनुसार रकवा 5.0 हे. ही पाया गया तथा अक्षांश देशांश अनुसार दोनो खदानों के बीच की दूरी 765 मी. तथा aerial distance 530 m पाया गया, अतः अन्य खदान 500मी के परिधि के बाहार है अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पाया गया ।

संलग्न गूगल मेप जिसमें खनन स्थल के अन्तिम छोर के अक्षांश देशांश प्रस्तुत किये गये है तथा खदानों के बीच की दूरी दर्शायी गयी है।

अतः समिति द्वारा पूर्व बैठक क्र0. 685वीं बैठक दिनांक 03/10/23 मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई **अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय** लिया है।

6. <u>Case No 10763/2023 Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Mudhena Sand Quarry in an area of 2.845 ha. (52210 cum per year) (Khasra No. 15), Village-Mudehna, Tehsil-Manpur, District-Umaria (MP) [432191] (B2).</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 719वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 836वीं बैठक दिनांक 01/03/24 के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय, क्षेत्र संचालक, बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व, उमारिया का पत्र क्र0. 2392 दिनांक 20/09/2023 अनुसार आवेदित क्षेत्र उत्खनि पट्टा बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व की कोर सीमा 1.41 कि.मी की दूरी पर स्थित है। चूंकि बाधवगढ़ की अधिसूचना दिनांक 20/12/2016 अनुसार बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व, का ईको सेंसिटिव एरिया (ESZ) कोर क्षेत्र सीमा से 2.0 कि.की. तक है। अतः बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व, के ईको सेंसिटिव एरिया (ESZ) से खदान क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में से खदान क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में स्पष्ट जानकारी कार्यालय, क्षेत्र संचालक, बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व, उमारिया से प्राप्त की जाये। प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 02/04/24 को रखा गया, के पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

<u>प्रकरण का परीक्षण</u>

उपरोक्त विषय में पुनः चर्चा की गयी तथा समिति द्वारा निर्णय लिया की सिया के मत अनुसार प्रस्तावित *आवेदित उत्खनि पट्टा ईको सेंसिटिव एरिया (ESZ) बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व की कोर सीमा 1.41 कि.मी की दूरी पर स्थित है अतः ईको सेंसिटिव एरिया बाधवगढ़ से दूरी का* ***Geo-reference map*** *तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार तथा ईको सेंसिटिव एरिया बाधवगढ़ की अधिसूचना दिनांक 20/12/2016 को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र संचालक, बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व, उमारिया से स्पष्ट अभिमत प्राप्त करें।*

7. **<u>Case No 10374/2023 Shri Bala Mehra, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Machhawali Sand Quarry in an area of 3.50 ha. (7500 cum per year) (Khasra No. 1645), Village- Machhaoli, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP) [432383] (B2)</u>**

प्रस्तावित खदान का समिति की 719वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

सिया की 836वीं बैठक दिनांक 01/03/24 के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 216 मीटर की दूरी पर एक रोड ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guideline for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major briges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge /public civil structure (including water intake pointe) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार चेक डेम / निर्मित वियर से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 02/04/24 को रखा गया, जिसमें प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री स्वाति नामदेव, ई.आई.ए. कार्डिनेटर क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.). द्वारा समिति समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है।

समिति ने प्रकरण का पुनः परिक्षण द्वारा पाया की–

- प्रकरण समिति की 719वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी ।
- ब्रिज होने के कारण से समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था की, सेतु निर्माण विभाग से ब्रिज की सुरक्षा को ध्यान में रखकर दूरी का निर्धारण खनन हेतु मत प्राप्त किया जावे।
- कार्यपालन यंत्री लोक निमार्ण विभाग सेतु निमार्ण संभाग, ग्वालियर का पत्र क्रमांक 19 दिनांक 05/01/2024 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300–300 मी. की दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा, जिससे पुल संरक्षित रह सकें।
- सेड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 को ध्यान में रखते हुये समिति द्वारा उक्त खदान की संवेदनशीलता के विषय पर विचार किया गया तथा रेत खनन हेतु पुनः अनुशंसा की गयी थी ।
- समिति का यह भी मत है की ***रोड ब्रिज या अन्य छोटी संरचनाओं के दोनो ओर 01किमी.तक का क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र छोडने पर अवैध खनन् की संभावना रहेगी।***

- यदि सिया का यह अभिमत है कि Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01 कि.मी. की दूरी प्रतिबंधित रखी जाती है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में सिया द्वारा अपने स्तर पर आवश्यक नीतिगत् निर्णय लिया जा सकता है।
- ऐसे प्रकरण जिनमें 01 किमी. दूरी तक कोई संरचना निर्मित हो और यदि 01 किमी. प्रवधान रखा जाना आवश्यक हो, तो सिया स्तर पर एक पॉलिसी मेटर के रूप में निर्णय लिया जावें एवं यदि बाध्यकारी है तो समस्त प्रकरणों में एकरूपता /समरूपता के दृष्टिकोण से एक नीतिगत् निर्णय लेकर प्रकरणों में निराकरण सिया स्तर पर किया जावें।

अतः समिति द्वारा पूर्व बैठक क्र0. 719वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

8. <u>Case No 10417/2023 Shri Janmejay Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Laharghat (Khokar) Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 106, 107), Village-Lahar Ghat, Tehsil-Guna, District-Guna (MP) [431869] (B2)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 719वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 836वीं बैठक दिनांक 01/03/24 के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 119 मीटर की दूरी पर एक मेजर ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guideline for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major briges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge /public civil structure (including water intake pointe) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार मेजर ब्रिज / निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध

नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 02/04/24 को रखा गया, जिसमें प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री स्वाति नामदेव, ई.आई.ए. कार्डिनेटर क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.). द्वारा समिति समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है ।

समिति ने प्रकरण का पुनः परिक्षण द्वारा पाया की–

- प्रकरण समिति की 719वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी ।
- ब्रिज होने के कारण से समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था की, सेतु निर्माण विभाग से ब्रिज की सुरक्षा को ध्यान में रखकर दूरी का निर्धारण खनन हेतु मत प्राप्त किया जावे।
- कार्यपालन यंत्री लोक निमार्ण विभाग सेतु निमार्ण संभाग, ग्वालियर का पत्र क्रमांक 21 दिनांक 05/01/2024 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300–300 मी. की दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा, जिससे पुल संरक्षित रह सकें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 800 मी. तक रेत उत्खनन प्रतिबंध रखा गया है।
- समिति का यह भी मत है की ***रोड ब्रिज या अन्य छोटी संरचनाओं के दोनो ओर 01किमी.तक का क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र छोडने पर अवैध खनन् की संभावना रहेगी।***

- सेड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 को ध्यान में रखते हुये समिति द्वारा उक्त खदान की संवेदनशीलता के विषय पर विचार किया गया तथा रेत खनन हेतु पुनः अनुशंसा की गयी थी ।
- यदि सिया का यह अभिमत है कि Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01 कि.मी. की दूरी प्रतिबंधित रखी जाती है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में सिया द्वारा अपने स्तर पर आवश्यक नीतिगत् निर्णय लिया जा सकता है।
- ऐसे प्रकरण जिनमें 01 किमी. दूरी तक कोई संरचना निर्मित हो और यदि 01 किमी. प्रवधान रखा जाना आवश्यक हो, तो सिया स्तर पर एक पॉलिसी मेटर के रूप में निर्णय लिया जावें एवं यदि बाध्यकारी है तो समस्त प्रकरणों में एकरूपता /समरूपता के दृष्टिकोण से एक नीतिगत् निर्णय लेकर प्रकरणों में निराकरण सिया स्तर पर किया जावें।

अतः समिति द्वारा पूर्व बैठक क्र0. 719वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

9. <u>Case No 10665/2023</u> <u>Shri Subhash Chandra karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Prior Environment Clearance for Bijoriya-2 Sand Quarry in an area of 1.50 ha. (5400 cum per year) (Khasra No. 363), Village-Bijoriya, Tehsil- Katthiwada, District-Alirajpur (MP).</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की *832वीं बैठक दिनांक 18/01/2024* के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

सिया की 832वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को "परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के दोनो ओर 446 एवं 700 मीटर की दूरी पर एक पक्का मेजर रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guideline for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major briges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge /public civil structure (including water intake pointe) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के मेजर रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 02/04/24 को रखा गया, जिसमें प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति ने प्रकरण का पुनः परिक्षण द्वारा पाया की–

- प्रकरण समिति की की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी ।
- ब्रिज होने के कारण से समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था की, सेतु निर्माण विभाग से ब्रिज की सुरक्षा को ध्यान में रखकर दूरी का निर्धारण खनन हेतु मत प्राप्त किया जावे।
- कार्यालय महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण, परियेजना क्रियान्वयन इकाई, अलीराजपुर का पत्र क्रमांक 1621 दिनांक 14/12/2023 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300–300 मी. की दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा, जिससे पुल संरक्षित रह सकें।
- समिति का यह भी मत है की ***रोड ब्रिज या अन्य छोटी संरचनाओं के दोनो ओर 01किमी.तक का क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र छोडने पर अवैध खनन् की संभावना रहेगी।***

- सेड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 को ध्यान में रखते हुये समिति द्वारा उक्त खदान की संवेदनशीलता के विषय पर विचार किया गया तथा रेत खनन हेतु पुनः अनुशंसा की गयी थी ।
- यदि सिया का यह अभिमत है कि Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01 कि.मी. की दूरी प्रतिबंधित रखी जाती है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में सिया द्वारा अपने स्तर पर आवश्यक नीतिगत् निर्णय लिया जा सकता है।
- ऐसे प्रकरण जिनमें 01 किमी. दूरी तक कोई संरचना निर्मित हो और यदि 01 किमी. प्रवधान रखा जाना आवश्यक हो, तो सिया स्तर पर एक पॉलिसी मेटर के रूप में निर्णय लिया जावें एवं यदि बाध्यकारी है तो समस्त प्रकरणों में एकरूपता /समरूपता के दृष्टिकोण से एक नीतिगत् निर्णय लेकर प्रकरणों में निराकरण सिया स्तर पर किया जावें।

अतः समिति द्वारा पूर्व बैठक क्र0. की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

10. <u>Case No 10298/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua. Prior Environment Clearance for Karju Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (24000 cum per year) (Khasra No. 373, 896/1), Village-Karju, Tehsil-Moman Badodiya, District-Shajapur (MP).</u>

735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

प्रस्तावित खदान का समिति की 719वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की ***836वीं बैठक दिनांक 29/01/2024*** के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

सिया की 836वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 को "परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में एक 287 मीटर की दूरी पर चेक डेम/निर्मित वियर परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guideline for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major briges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge /public civil structure (including water intake pointe) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार चेक डेम/निर्मित वियर से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 02/04/24 को रखा गया, जिसमें प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति ने प्रकरण का पुनः परिक्षण द्वारा पाया की–

- प्रकरण समिति की 719वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी ।
- ब्रिज होने के कारण से समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था की, सेतु निर्माण विभाग से ब्रिज की सुरक्षा को ध्यान में रखकर दूरी का निर्धारण खनन हेतु मत प्राप्त किया जावे।
- कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, शाजापुर का पत्र क्रमांक 127 दिनांक 15/01/2024 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि निर्मित वियर से 248 मी. दूरी के

पश्चात ही रेत खनन किया जावें एवं रिवर बेड लेवल से 01 मी. उपर तक ही रेत खनन की जावें।

- समिति का यह भी मत है की ***रोड ब्रिज या अन्य छोटी संरचनाओं के दोनो ओर 01किमी.तक का क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र छोडने पर अवैध खनन् की संभावना रहेगी।***

- सेड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 को ध्यान में रखते हुये समिति द्वारा उक्त खदान की संवेदनशीलता के विषय पर विचार किया गया तथा रेत खनन हेतु पुनः अनुशंसा की गयी थी ।
- यदि सिया का यह अभिमत है कि Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01 कि.मी. की दूरी प्रतिबंधित रखी जाती है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में सिया द्वारा अपने स्तर पर आवश्यक नीतिगत् निर्णय लिया जा सकता है।
- ऐसे प्रकरण जिनमें 01 किमी. दूरी तक कोई संरचना निर्मित हो और यदि 01 किमी. प्रवधान रखा जाना आवश्यक हो, तो सिया स्तर पर एक पॉलिसी मेटर के रूप में निर्णय लिया जावें एवं यदि बाध्यकारी है तो समस्त प्रकरणों में एकरूपता /समरूपता के दृष्टिकोण से एक नीतिगत् निर्णय लेकर प्रकरणों में निराकरण सिया स्तर पर किया जावें।

अतः समिति द्वारा पूर्व बैठक क्र0. की 719वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

11. <u>Case No 9703/2023 Shri Yatish Jain, Executive Engineer, Division No. 1, Bhopal Development Authority, Pragati Bhawan, Press Complex, M.P. Nagar, Zone-1, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for area development project "Infrastructure Development Work of 45M Wide Master Plan Road (TDS-201/2020) [Total Plot Area-2269107.6 sqm, Total Built-up Area-1443221.17 sqm) at Khasra No. 1549, 1551, 1552(P), 45/1, 47/1, Village-Jhagriya, Katara, Bagli, Bhopal, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (MP) [413021] (B2)</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Area Development Project of "Infrastructure Development Work of 45M Wide Master Plan Road (TDS-201/2020) [Total Plot Area-2269107.6 sqm, Total Built-up Area-1443221.17 sqm) at Khasra No. 1549, 1551, 1552(P), 45/1, 47/1, Village-Jhagriya, Katara, Bagli, Bhopal, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (M.P.) Cat. - 8(b) Township and Area Development Projects.

735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

सिया की ***831वीं बैठक दिनांक 20/02/2024*** के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

- *परियोजना के प्रस्तावित कार्य स्थल के अन्दर से दो नाले प्रवाहित हो रहे हैं।, जो कि इस भू-भाग के पानी निकासी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है इसके बाधित होने से इनके माध्यम से उपर त के हिस्से में स्थित कालोनियों के पानी निकासी होती है जो कि बारिश के दिनों में अत्यं महत्वपूर्ण कार्य है प्रस्तावित परियोजना के अनुमोदित लेआउट में भी इन नालों के पानी निकासी के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं पाया गया है साथ ही परियोजना प्रस्ताव में भी इन नालों के साथ अन्य नालों का संरक्षण एवं सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है ै ͞/ͅ द्वारा भी इस बिन्दु पर कार्यवाही विवरण में कोई विवरण नहीं दिया है। परियोजना स्थल के समीप लहारपुर डैम भी स्थित हैए अतः पर्यावरणीय संवेदनशीलता के आधार पर इन दोनों बिन्दुओं पर परियोजना प्रस्तावक से प्रस्ताव प्राप्त कर SEAC द्वारा इनका आकलन कर तदानुसार पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जावे।*
- *परियोजना में ग्रीन एरिया का प्रतिशत 5º82 है जो की कम प्रतीत हो रहा हैए अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन एरिया को अधिक से अधिक विकसित करने का प्रयास किये जाये ताकि क्षेत्र में निवास करने वाली आम आदमी प्रदूषण के खतरों से बच सके।*
- *समिति द्वारा अधिरोपित विशिष्ट शर्त विन्दु क्र VII (iii) में उल्लेख किया गया है "175 tree will be cut/transplanted during the development if the whole scheme against which 1750 No. of trees are proposed as compensatory plantation by PP. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना नियोजन के दौरान पेड़ो को बचाने हेतु आवश्यक परिवर्तन किया जाये ताकि अधिक से अधिक पेड़ बच सके। साथ ही पेड़ो को काटने की जगह पेडो को आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर पेड़ो को स्थानांतरित वश्यक हो तो ही पेड़ काटने के पूर्व सक्षम अधिकारी से किया जावे। यदि अत्यआ (ट्रांसप्लांट) अनिवार्य रूप से अनुमति*

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 02/04/24 को रखा गया, के पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

<u>प्रकरण का परीक्षण</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 713वीं बैठक दिनांक 19/12/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

समिति ने उपरोक्त सिया द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का परीक्षण कर परियोजना प्रस्तावक को निम्न अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के निर्देश दियेः–

- प्रस्तवित परियोजना क्षेत्र में गूगल ईमेज के अनुसार दो प्राकृतिक नाले प्रवाहित होते दिख रहे है अतः इन दोनो नालों के प्राकृतिक बहाव के संरक्षण हेतु एवं पानी के केचमेन्ट क्षेत्र को ध्यान में रखते हुये अभियांत्रिकी एवं वैज्ञानिक डिजाईन पर्याप्त बजट के साथ ई.एम.पी योजना में प्रस्तुत की जाये।
- परियोजना प्रस्तावक एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें जिसमें हरित क्षेत्र एवं पेड़ो के संरक्षण हेतु आदि के विषय में सिया द्वारा जो विचार दिया गया है उसके बारे में वचन पत्र देते हुये पर्याप्त बजट के साथ ई.एम.पी योजना में प्रस्तुत की जाये।

12. **Case No 10646/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Rajmilan-2 Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (41880 cum per year) (Khasra No. 1706), Village-Raja Sarai, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) [435396] (B2).**

प्रस्तावित खदान का समिति की 719वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की ***836वीं बैठक दिनांक 29/01/2024*** के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के नजदीक एक 80 मीटर का पक्का मेजर ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guideline for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major briges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge /public civil structure (including water intake pointe) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के मेजर रोड ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 02/04/24 को रखा गया, के पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के पर्यावरण सलाहकार के द्वारा अवगत कराया की प्रस्तावित परियोजना का कुल क्षेत्रफल (4.0) हेक्टेयर है| परियोजना स्थल के समीप में मेजर ब्रिज (अधोसरंचना) आने की वजह से 1.0 किमी. तक का क्षेत्र ब्लॉक करने का प्रावधान है| इस प्रकार कुल उत्खनन क्षेत्र 0.68 हेक्टेयर, जो कुल खनन क्षेत्र का 19.5% है | अतः समिति की अनुशंसा के अनुसार, अतिरिक्त सेंसिटिव फीचर को ध्यान में रखते हुए, 0.68 हेक्टेयर क्षेत्र में माइनिंग किया जायेगा| खनन क्षेत्र की प्रस्तावित गहराई सीमा (2.0 मीटर) के अनुसार कुल उत्खनन (2.0 मीटर* 0.68 वर्गमीटर) 41,880 घनमीटर होगा अतः समिति द्वारा के अनुशंसा के अनुसार प्रस्तावित खनन परियोजना 13,600 घनमीटर/वर्ष के लिए प्रस्तावित की जा रही है|

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र मात्र 0.68 हे. से अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–13,600 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व **पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है**

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. <u>Case No 10657/2023 Shri Subhash Chandra karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Prior Environment Clearance for Amkhut Sand Deposit in an area of 1.80 ha. (2178 cum per year) (Khasra No. 274), Village-Amkhat, Tehsil-Alirajpur, District-Alirajpur (MP) – B2.</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की ***832वीं बैठक दिनांक 21/02/2024*** के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 121 मीटर की दूरी पर एक पक्का मेजर रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी

Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guideline for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major briges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge /public civil structure (including water intake pointe) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream

side" अनुसार एक पक्का मेजर रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 02/04/24 को रखा गया, जिसमें प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति ने प्रकरण का पुनः परिक्षण द्वारा पाया की–

- प्रकरण समिति की की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी ।
- ब्रिज होने के कारण से समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था की, सेतु निर्माण विभाग से ब्रिज की सुरक्षा को ध्यान में रखकर दूरी का निर्धारण खनन हेतु मत प्राप्त किया जावे।
- कार्यालय महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण, परियेजना कियान्वयन इकाई, अलीराजपुर का पत्र क्रमांक 1643 दिनांक 14/12/2023 जिसमें उल्लेख है कि पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300–300 मी. की दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा, जिससे पुल संरक्षित रह सकें।
- समिति का यह भी मत है की ***रोड ब्रिज या अन्य छोटी संरचनाओं के दोनो ओर 01किमी. तक का क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र छोडने पर अवैध खनन् की संभावना रहेगी।***
- सेड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 को ध्यान में रखते हुये समिति द्वारा उक्त खदान की संवेदनशीलता के विषय पर विचार किया गया तथा रेत खनन हेतु पुनः अनुशंसा की गयी थी ।
- यदि सिया का यह अभिमत है कि Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01 कि.मी. की दूरी प्रतिबंधित रखी जाती है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में सिया द्वारा अपने स्तर पर आवश्यक नीतिगत् निर्णय लिया जा सकता है।

अतः समिति द्वारा पूर्व बैठक क्र0. की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

14. **Case No 10423/2023 Shri Dilip Jain, Lessee, Paras Colony, P.O. & District-Satna (MP)-485001, Prior Environment Clearance for Parasrampur White Earth Mine in an area of 4.995 ha. (4998 cum per year) (Khasra No. 512/2), Village-Parasrampur, Tehsil-Maihar, District-Satna (MP)**

प्रकरण समिति की 713वीं बैठक दिनांक 11/01/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 831वीं बैठक दिनांक 20/02/2024 के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगर ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के चारो ओर मानब बसाहट परिलक्षित हो रही है, SEAC के समिति द्वारा पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत खदान क्षेत्र के चारो ओर स्थित मानब बसाहट व उससे निर्धारित दूरी छोड़ने हेतु कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 02/04/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

समिति ने प्रकरण का पुनः परिक्षण द्वारा पाया की–

- प्रकरण समिति की की 713वीं बैठक दिनांक 11/01/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया की खदान क्षेत्र के चारो ओर स्थित मानब बसाहट व उससे निर्धारित दूरी छोड़ने (गैर खनन 1.33 हे.) के पश्चात् खनन हेतु 3.53 हे. उपलब्ध होता है, एवं प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।

अतः समिति द्वारा पूर्व बैठक क0. 713वीं बैठक दिनांक 11/01/24 मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

15. **Case No 10687/2023 Shri Ambuj Jain, Owner, House No. 472, Ward No. 13, Bagharaji, District-Dindori (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Bhardwara Mal Stone (Gitty) Quarry in an area of 2.900 ha. (16055 cum per year) (Khasra No. 85, 89/1), Village-Bhardwara, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP) [444311] (B2).**

735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

प्रकरण समिति की 716वीं बैठक दिनांक 23/01/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 834वीं बैठक दिनांक 28/02/2024 के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं के ई–मेल दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से प्रकरण क्र. 10752/2023 में अध्यक्ष, ग्रामसभा , जनपद पंचायत शाहपुरा जिला डिण्डोरी का शिकायत पत्र संलग्न कर लेख किया गया है कि उक्त प्रकरण क्र. 10752/2023 (रकबा 2.00 हेक्टेयर) के 500 हेक्टेयर मीटर की परिधि मे 02 अन्य खदान अम्बुज जैन के नाम पर प्रकरण क्र. 10687/2023 रकबा 2.90 हेक्टेयर एवं 0.70 हेक्टेयर स्वीकृत होना बताया गया है, जिसको मिलाकर कुल रकबा 5.60 हेक्टेयर होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का न होकर बी–1 श्रेणी है। इस प्रकार यदि प्रकरण क्र. 10752/2023 बी–1 श्रेणी के अंतर्गत है तो प्रकरण क्र. 10687/2023 भी बी–1 श्रेणी के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 02/04/24 को रखा गया, पर्यावरणीय सलाहकार के अधिकृत प्रतिनिधि सुश्री स्वाति नामदेव, मे0. ए.जी.एस. इंवारोमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार के अधिकृत प्रतिनिधि ने अवगत कराया की चूकि अंबूज जैन के प्रकरण क्र 10687 के खनिज अधिकारी के द्वारा जारी किये गए एकल पत्र क्र 153/खनि/2023 डिण्डौरी दिनांक 30/05/2023 के 500 मीटर परिधी में प्रकरण क्र 10752/2023 (रकबा 2.000 हैक्टेयर) ही आता है। अतः इस प्रकरण का कलस्टर एरीया 5 हैक्टेयर से कम होता है, एक अन्य खदान 0.70 हैक्टेयर कि जो 500 मीटर की परिधी से बाहर है। अतः प्रकरण बी–2 कैटेगरी का है।

समिति ने प्रकरण का पुनः परिक्षण गूगल अर्थ ईमेज पर किया और पाया की

- सिया द्वारा उल्लेखित उपरोक्त प्रकरण प्रकरण को गूगल अर्थ पर परीक्षण किया एवं पाया की एक अन्य खदान 0.70 हैक्टेयर जो 500 मीटर की परिधी से बाहर है।

अतः समिति द्वारा पूर्व बैठक क्र0. 716वीं बैठक दिनांक 23/01/24 मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

16. <u>Case No 9898/2023 Shri Devendra Shivhare, Owner, M/s PD MINERALS PRIVATE LIMITED, Indra Nagar, Kabrai, District- Mahoba (U.P.) Prior Environment Clearance for Mugdara Dolomite Mine in an area of 4.80 ha. (1,01,204 Tonne per annum) (Khasra No. 720/2, 700/1, 720/3, 721/2,720/1, 721/1/2, 725/2, 708/2, 709/2, 710, 711, 712/2, 717/2, 718/2, 719/2 & 700/2), Village-Mugdara, Tehsil- Nainpur, District-Mandla (MP) (EIA)</u>

प्रकरण समिति की 719वीं बैठक दिनांक 29/01/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 836वीं बैठक दिनांक 01/03/2024 के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC क द्वारा पहाड़ी के Ridge Side जिस ओर सघन रूट स्टाक है, को छोडकर नॉन माईनेबल एरिया (2.5 हे.) के रूप में संरक्षित रखे जाने की अनुशंसा की गयी है। प्रकरण में SEAC द्वारा खदान के रकबे को कम किया गया हे परन्तु उत्पादन क्षमता में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 02/04/24 को रखा गया, के पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया की सिया के रिफर्ड बैक मिनिटस् में में त्रुटि वश सेक के 719वीं बैठक दिनांक 29/01/24 के प्रकरण क्र. 10781/2023 के मिनिटस् पेस्ट हुये है। परीक्षण के करने पर समिति ने पाया की प्रकरण में खदान क्षेत्र में पूर्व दिशा में पक्का रोड दूरी के संबंध में एन.जी.टी./सीपीसीबी की गाईडलाईन के अनुरूप स्थानवार मापदण्ड छोडते पर गैर खनन् क्षेत्र 1.0 हे. एवं खनन् योग्य क्षेत्र लगभग 3.8 हे. उपलब्ध होता है।

अतः समिति द्वारा पूर्व बैठक क्र0. 719वीं बैठक दिनांक 29/01/24 मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

17. <u>Case No 10781/2023 Shri Subhash Goyal, Director, M/s Ind Mineral Explorers Private Limited, R/o 201, Shri Karishnam Apartment, North Ambajhiri Road,</u>

District-Nagpur (MH)-440022, Prior Environment Clearance for Ghadela Dolomite Quarry in an area of 4.84 ha. (32490 TPA) (Khasra No. 141P), Village-Ghadela Malaujan, Tehsil-Sausar, District-Chhindwara (MP)

प्रकरण समिति की 719वीं बैठक दिनांक 29/01/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 836वीं बैठक दिनांक 01/03/2024 के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूंकि खदान पहाड़ पर स्थित है एवं 22 पेड़ में से काटे जाने वाले 12 वृक्षों के विरूद्ध क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं पक्की सडक से न्यूनतम 200 मीटर तक निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) उपरांत खनन् योग्य उपरब्ध क्षेत्र का पुर्नरीक्षित सरफेस मेप तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को अग्रेषित किया जाये।

आज दिनांक 02/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी ई. आई.ए. कार्डिनेटर आनलाईन एवं उनकी प्रतिनिधि सुश्री स्वाति नामदेव, मेसर्स ए.एस.जी. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । स्वाति
प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय की प्रतिनिधि द्वारा खदान पहाड़ पर स्थित्त है एवं 22 पेड में से काटे जाने वाले 12 वृक्षों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं पक्की सडक से न्यूनतम 200 मीटर तक" निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र का पुर्नरीक्षित Surface Map तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त प्रस्तुत किया। मेप में नॉन माईनेबल एरिया (2.11 हे.) के रूप में संरक्षित रखे जाने हेतु एवं 2.73 हे खनन् योग्य हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है एवं परियोजना प्रस्तावक ने बताया की लीज क्षेत्र के नॉन माईनेबल एरिया में लगभग 225 पेड़ लगा दिये गये है।

अतः समिति द्वारा पूर्व बैठक क0. 719वीं बैठक दिनांक 29/01/24 मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

18. **Case No 10892/2023 Shri Narendra Singh, Owner, Village-Khejra Nai, Post-Bhainsarwas Shadora, District-Ashok Nagar (MP)-473330, Prior Environment**

735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

Clearance for Khejra Nai Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 31), Village-Khejra Nai, Tehsil-Shadhora, District-Ashok Nagar (MP)[450231] DEIAA-(B2).

पूर्व मे सेक की 715वीं बैठक दिनांक 19/01/24परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए ।

आज दिनांक 02/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक सुभाष गोयल ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली, ऑनलाईन एवं उनकी प्रतिनिधि सुश्री स्वाति नामदेव, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	50 % पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग . 100 पेड़ लगाये गये एवं 200 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया की एक कच्चा रोड उत्तर–पूर्व दिशा में लगभग 260 मी. की दूरी पर स्थित है एवं खनन क्षेत्र में माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट लगा हुआ है।

735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 12000 cum per year ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 9.01 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.33 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. **माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से MMR Rules अनुसार कार्य किया जावें।**
5. खनन क्षेत्र में माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति को समय–समय पर रिनेवल कराना होगा।
6. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
7. लीज क्षेत्र से खेत लगे हुए है, अतः वहॉ अस्थाई सरंचना की कर्टेनवाल बनाई जाये एवं जिसे खनन् की दिशा में समय–समय पर प्रतिस्थापित किया जा सके, जिससे खनन् से उत्पन्न होने वाली धूल से कृषि प्रभावित न हो ।
8. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
9. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
10. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
11. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी स्वास्थय केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा की जावेगी।	60,000
जैविक खाद के साथ श्रीअन्न, उपयोग, मार्केटिंग एवं प्रोत्साहन प्रशिक्षण 6	10,000

माह में कृषि विज्ञान केंद्र में काराया जाएगा।	
Total	70,000

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन जोन में वृक्षारोपण	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
2	ग्रामवासियों मं वितरण हेतु	सीताफल, ऑवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां।	1500
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 1.5 मीटर)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, अमलताश, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां। (पूर्ण सुरक्षा सहित)	300
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

19. <u>Case No 10963/2023 Shri Vikram Anjana, HUF, Proprietor, Village-Kesunda, District-Pratapgarh (RJ)-312604, Prior Environment Clearance for Jethana Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (29100 cum per year) (Khasra No. 42/1), Village-Jethana, Tehsil-Piploda, District-Ratlam (MP) [DEIAA]</u>

735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

प्रकरण समिति की 716वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 834वीं बैठक दिनांक 28/02/2024 के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा उपरोक्त अनुशंसा अनुसार खदान क्षेत्र में क्रेशर स्थापित है तथा क्रेशर की स्थापना खदान क्षेत्र में की जा सकती है अथवा नहीं से संबंधित कोई अनुशंसा नहीं की गयी है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को अग्रेषित किया जाये।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया की

- उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें क्रेशर स्वीकृत था।
- दिनांक 29/06/2021 को विभाग से अनुमोदित माईनिंग स्कीम, खनन क्षेत्र में माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट स्थापित है जिसको माईनिंग स्कीम के सरफेस मेप में भी दर्शाया गया है।
- तथा पूर्व में क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति दिनांक 21/12/2018 के माध्यम से प्राप्त की गयी है।
- अतः प्रकरण में समिति द्वारा पूर्व अनुसार क्रेशर की भी *अनुशंसा की जाती है।*

अतः समिति द्वारा पूर्व बैठक क्र0. 719वीं बैठक दिनांक 29/01/24 मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

20. Case No 10964/2023 Shri Vijay Bais S/o Ram Lallu Vaishya, Owner, Ward No. 13, House No. 1 to 233, Village-Chingo, Post-Pateri, Near Government School, Chitrangi, District-Singrauli (MP)-486892, Prior Environment Clearance for Pali Stone Deposit in an area of 2.00 ha. (21945 cum per year) (Khasra No. 323), Village-Pali, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP) [449803] [DEIAA] (B2).

735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

प्रकरण आज सेक की 735वीं बैठक दिनांक 02/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

21. <u>Case No 8626/2021 Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.50 ha. (32000 cum per annum) (Khasra No. 1763, 95/1), Village - Gobri, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP)</u>

प्रकरण समिति की 721वीं बैठक दिनांक 06/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 830वीं बैठक दिनांक 15/02/2024 के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 190 मीटर की दूरी की एक पक्का रोड ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 *तथा* Enforcement and Monitoring Guideline for Sand 2020 *में दिये गये प्रावधान* "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major briges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge /public civil structure (including water intake pointe) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" *अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु* SEAC *को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।*

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 02/04/24 को रखा गया, जिसमें प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास चंद्र त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स Parivesh Environmental Engineering Services, Lucknow,UP उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति ने प्रकरण का पुनः परिक्षण द्वारा पाया की–

735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

- प्रकरण समिति की की 721वीं बैठक दिनांक 06/02/2024 को extension of the validity of EC की अनुशंसा की गई थी ।
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Gobri	8626/2021	20-Dec-2022	30-June-2023	19-Dec-2027	32000	Partially completed

- कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संम्भाग रीवा के पत्र क्र. 03 दिनांक 01/04/24 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि पुल एवं पहुंच मार्ग के दोनो तरफ डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 500–500 मी. की दूरी तक रेत एवं ग्रेवल की दूरी छोडने का उल्लेख किया है। यदि पुल एवं पहुंच मार्ग के अप स्ट्रीम में 500 एवं 500 मी. डाउन स्ट्रीम की कम दूरी में रेत की खूदाई की जाती है तो पुल एवं पहुंच मार्ग के किसी भी प्रकार की क्षति होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित की होगी।
- परियोजना प्रस्तावक के द्वारा बताया गया की उपरोक्त संबंध में गैर खनन छोडने के पश्चात् खनन हेतु लगभग 2.44 हे. खनन हेतु उपलब्ध होता है।
- समिति का यह भी मत है की ***रोड ब्रिज या अन्य छोटी संरचनाओं के दोनो ओर 01किमी. तक का क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र छोडने पर अवैध खनन् की संभावना रहेगी।***
- सेड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 को ध्यान में रखते हुये समिति द्वारा उक्त खदान की संवेदनशीलता के विषय पर विचार किया गया तथा रेत खनन हेतु पुनः अनुशंसा की गयी थी ।
- यदि सिया का यह अभिमत है कि Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01 कि.मी. की दूरी प्रतिबंधित रखी जाती है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में सिया द्वारा अपने स्तर पर आवश्यक नीतिगत् निर्णय लिया जा सकता है।

अतः समिति द्वारा पूर्व बैठक क्र0. की 721वीं बैठक दिनांक 06/02/2024 मे **extension of the validity of EC** की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

22. <u>Case No 7673/2020 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 10.0 ha. (27960 cum per annum) (Khasra No. 266/1), Village - Barkachh, Tehsil - Jaysinghnagar, Dist. Shahdol, (MP)</u>

प्रकरण समिति की 721वीं बैठक दिनांक 06/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 830वीं बैठक दिनांक 15/02/2024 के द्वारा प्रकरण को समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है, प्रकरण के कार्यवाही विवरण निम्न उल्लेख है–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के बीचो–बीच एक पक्का रोड ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guideline for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major briges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge /public civil structure (including water intake pointe) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 02/04/24 को रखा गया, जिसमें प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास चंद्र त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स Parivesh Environmental Engineering Services, Lucknow,UP उपस्थित हुए ।

समिति ने प्रकरण का पुनः परिक्षण द्वारा पाया की–

- प्रकरण समिति की की 721वीं बैठक दिनांक 06/02/2024 को extension of the validity of EC की अनुशंसा की गई थी ।

- PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Barkachh	7673/2020	22-Jan-2022	30-June-2023	21-Jan-2027	27960	Partially completed

- प्रकरण को पूर्व में सिया द्वारा दिनांक 22/01/2022 पर्यावरण स्वीकृति जारी की गयी थी।
- कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संम्भाग रीवा के पत्र क्र. 12 दिनांक 02/04/24 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि पुल एवं पहुंच मार्ग के दोनो तरफ डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 500–500 मी. की दूरी तक रेत एवं ग्रेवल की दूरी छोडने का उल्लेख किया है। यदि पुल एवं पहुंच मार्ग के अप स्ट्रीम में 500 एवं 500 मी. डाउन स्ट्रीम की कम दूरी में रेत की खूदाई की जाती है तो पुल एवं पहुंच मार्ग के किसी भी प्रकार की क्षति होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित की होगी।
- सेड मांईनिंग गाईडलाईन के अनुसार स्थिल विशेष को ध्यान में रखकर 10हे. क्षेत्र में से 2.55 हे. क्षेत्र में खनन कार्य किया जावेगा (खनन की गहराई 3.0मी. प्रस्तावित है)।
- लीज क्षेत्र में लगभग 60000 घनमीटर से अधिक रेत उपलब्ध है जिसमें से परियोजना प्रस्तावक द्वारा 27960 घनमीटर की अनुशंसा की गयी थी।
- उत्तर दिशा में गैर खनन क्षेत्र दर्शाया गया है
- समिति का यह भी मत है की ***रोड ब्रिज या अन्य छोटी संरचनाओं के दोनो ओर 01किमी. तक का क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र छोडने पर अवैध खनन् की संभावना रहेगी।***
- सेड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 को ध्यान में रखते हुये समिति द्वारा उक्त खदान की संवेदनशीलता के विषय पर विचार किया गया तथा रेत खनन हेतु पुनः अनुशंसा की गयी थी ।
- यदि सिया का यह अभिमत है कि Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01 कि.मी. की दूरी प्रतिबंधित रखी जाती है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में सिया द्वारा अपने स्तर पर आवश्यक नीतिगत् निर्णय लिया जा सकता है।

अतः समिति द्वारा पूर्व बैठक क्र0. 721वीं बैठक दिनांक 06/02/2024 मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

23. <u>Case No. - P2/596/2024 Shri Kailash Patidar Executive Engineer (Ujjain Development Authority) C-46/6, Rishi Nagar Extension - 2, Ujjain, Distt.- Ujjain (M.P.) 456010 .</u>

projects. SIA/MP/INFRA2/465394/2024. Prior Environment Clearance for Proposed Construction of "Unity Mall" by Ujjain Development Authority (M.P.). at Khasra No. 3686/1, 3685/1, 3683/1/1, Net Plot Area- 32000 sqm., Total Build-upArea-55775 sqm., Cat. - 8(a). Building and Construction.

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Construction of "Unity Mall" by Ujjain Development Authority (M.P.). at Khasra No. 3686/1, 3685/1, 3683/1/1, Net Plot Area- 32000 sqm., Total Build-upArea-55775 sqm.

PP submitted following information on Parivesh portal:

SN	Information Required	Details
1.	Project	**Cat. 8(a) Building Construction Project.**
2.	Project Name/Activity	Shri Kailash Patidar, Executive Engineer (Ujjain Development Authority) C-46/6, Rishi Nagar Extension - 2, Ujjain, Distt.- Ujjain (M.P.) 456010 . Prior Environment Clearance for Proposed Construction of "Unity Mall" by Ujjain Development Authority (M.P.). at Khasra No. 3686/1, 3685/1, 3683/1/1, **Net Plot Area- 32000 sqm., Total Build-upArea-55775 sqm., *Cat. - 8(a). Building and Construction projects.*** SIA/MP/INFRA2/465394/2024**.**
3.	Form 1A & Conceptual Plan	Submitted.
4.	EC Status	Fresh EC.
5.	Project Cost Rs.	28400 Lakhs.
6.	Description of Project	UDA proposing the construction of MPs first "Unity Mall" . This will act as a one stop market place for promotion and sale of One District One Product, GI Product, Handicraft Product and other local products. There will be shops to display the products of all the districts in the state.
7.	Water requirement & Sources	Total Water Requirement: 97.97 KLD Fresh Water Requirement: 37.27 KLD Treated/Recycled Water Requirement: 60.70 KLD Source of Fresh Water: Ujjain Development Authority.
8.	Water NoC details	PP Apply letter no. 1120 date 21/02/2024.
9.	MSW NoC details	CEO office letter no. 119 dated 21/02/2024.
10.	Extra treated Water NOC details	CEO office letter no. 119 dated 21/02/2024.
11.	DG set details	02 no DG sets of 320 KVA and 500 KVA each.
12.	Parking detils	346 ECS.
13.	Diversion letter Status	Date 12/02/2024.
14.	T&CP Permission	PP request letter No. 42/KCP/23 dated 07/03/24 (15 working days additional time).
15.	EMP/ Env. Con	Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.),

The case was presented by Env Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P and Shri Kailash Patidar Executive Engineer, Ujjain Development Authority Indore wherein following project c**hronology was** submitted

Chronology:

- Ujjain Development Authority is proposing the Construction of Commercial Project "***Unity Mall"***, at Khasra No. 3686/1, 3685/1, 3683/1/1 Mahakal Mandir Road, near Hariphatak Bridge, Ujjain Nagar (M.P.).
- The total built-up area of the project is 55775m^2.
- The proposed project is falling under Project /Activity 8(a), Building and Construction Projects, Category B (built-up area >/= 20000 m^2 and < 150000 m^2) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, Madhya Pradesh.

After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for Ujjain Development Authority (UDA) is proposing the Construction of Commercial Project "***Unity Mall"***, at Khasra No. 3686/1, 3685/1, 3683/1/1 Mahakal Mandir Road, near Hariphatak Bridge, Ujjain Nagar (M.P.).[Net Plot Area- 32,000 sqm. Total Build-upArea- 55,775 sqm] Cat.8 (a) subjects to the following special conditions:

Statutory Compliance

i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish & Consent to Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the

Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board within 15 days after issue of EC .

iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.

v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.

vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.

vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.

viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.

ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low-lying area.The top soil shall be used for greenery development.

II. Air Quality Monitoring and preservation

i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.

ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.

iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.

iv. 03 Diesel power generating set of 2x320 kVA& 1x500 kVAproposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low Sulphur Diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.

v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site

plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.

vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.

vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.

viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.

xi. The gaseous emission from DG set 2x320kVA& 1x500 kVAshall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.

xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.

ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.

iii. The total water requirement during operation phase is 97.97 KLD out of which 37.27 KLD is fresh water requirement and 61.3 KLD will be the total recycled water generated, out of which 38.29 KLD recycled water will be used for flushing,22.41 KLD water will be usedfor horticulture.

iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project

proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.

v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.

vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.

viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.

ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.

x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built-up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.

xiii. For rainwater harvesting, 5recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about 168m^3/hr.Mesh will be provided at the roofso that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.

xiv. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWA.

xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.
xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.
xix. Sewage shall be treated in the MBR based STP (Capacity–80KLD).The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.
xx. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 80 KLD capacity (based on MBR Technology) and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.
xxi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.
xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. **Noise monitoring and prevention**

i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.
ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.
iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such asbuilding orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
iv. Energy Conservation measures like installation of CFLs/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
v. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 30% of the demand load or as per the state level /local building bye-law's requirement, which is higher.
vi. PP shall be explored the possibility of laying of solar panels on warehouse roofs to generate the green energy for their in –houses uses, their e- vehicles etc.

VI. Waste Management

i. Total waste 592.1Kg/day, this consist all types of wastes (as Organicwaste 355.26 Kg/day and non- organic waste 177.63 Kg/day), Inert waste 59.21 Kg/day, E-waste 616.86Kg/Annum, and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.
ii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.
iii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
iv. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (0.5 ton/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.
v. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.

vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.

vii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.

viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.

ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto small be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.

x. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. **Green Cover**

i. **Total 611trees & 7260 Shrubs of different species shall be planted in the area of 3850 m^2(12 %) within the project site.**

ii. The landscape planning should included plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.

iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

iv. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII **Transport**

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network.

Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
b. Traffic calming measures.
c. Proper design of entry and exit points
d. Parking norms as per local regulation

ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.

iv. Totalproposed parking arrangement of 535 ECS (114 ECS Lower Basement and 421 ECS Upper Basement)

v. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.

ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.

iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may

be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. **EMP &Corporation Environment Responsibility**

i. For Environment Management PlanPP has proposed Rs.1190 Lacs as capital and Rs. 128 Lacs as recurring cost for this project.
ii. For Corporate Environment Responsibility PP hasproposed Rs426Lacs under Corporate Environment Responsibility(CER).

S.No.	Particulars	Total in lacs	First year	Second Year	Third Year
1	Development of Triveni Ghat & Eco center at Triveni nursery of forest department through DFO, Ujjain	**100**	40.0	30.0	30.0
2	Educational Aids for the Govt SchoolsDaudkhedi, Sadwa, Gonsa, Azampura, Karondia, Jiwanpur	**20**	7.0	7.0	6.0
3	Distribution of medicines, eye checkup camps, heart checkup camps in villages (villages within 5 km radius)	**30**	10.0	10.0	10.0
4	Development of Playground and arrangement of handpump at Karondia Government school and Binayga	**30**	10.0	10.0	10.0
5	Green corridor development by planting including medicinal plants on both the sides of banks of Kshipra through DFO Ujjain	**100**	30.0	30.0	40.0
6	Maintenance of Nanakheda Stadium	**66**	26.0	20.0	20.0
7	Maintenance of Mahakal Lok Corridor	**10**	10.0	0.0	00.0
8	Skill development programs through ITI.	**70**	10	30	30
	Total in lac	**426**	**153**	**137**	**136**

iii. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.

iv. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly reports.

v. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

vi. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.

XI. Miscellaneous

i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.

ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC).

iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).

iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed

by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

24. <u>Case No. P-2/510/24 Shri ASHISH GUPTA, Owner, House no.127, Mahu neemach Road, DRP line ke Samne Mandsaur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.00 ha. (17993 M3) (Khasra No. 173), Village- Bhandariya, Tehsil- Daloda, District- Mandsaur (M.P.). T.P. 02 years</u>

प्रस्तावित **Stone** खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 02/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी ई. आई.ए. कार्डिनेटर आनलाईन एवं उनकी प्रतिनिधि सुश्री स्वाति नामदेव, मेसर्स ए.एस.जी. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri ASHISH GUPTA, Owner, House no.127, Mahu neemach Road, DRP line ke Samne Mandsaur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	173 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.00 hectare.
स्थल	Village- Bhandariya, Tehsil- Daloda, District- Mandsaur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसोर के पत्र क्रमांक 1224 दिनांक 13/7/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है । [mentioned in Mining Plan-Page no. 22]	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone 17993 M3 Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Stone 17993 M3 Year.	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1738 दिनांक 21/9/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1738 दिनांक 21/9/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1738 दिनांक 21/9/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में	

	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सगवाली जिला मंदसोर के पत्र क्रमांक 23 दिनांक 30/4/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	PP submitted that 23 trees and 40 shrubs are existing of which 15 trees and 25 shrubs.
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	North Direction- Wind Mill 1690 m
	North –West-119 m
	East Direction – Habitation -350 m
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1738 दिनांक 21/09/23 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान शासकीय भूमि (अस्थायी अनुज्ञा) पर आवंटित है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि चूकी प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण तीन माह में पूर्ण कराया जाये एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तातंरित कर दी जावें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–17993 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 8.78 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.35 लाख प्रति वर्ष ।
3. प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण तीन माह में पूर्ण कराया जाये एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तातंरित कर दी जावें।

4. बैंचेस/बेरियर जोन कार्य माईन प्लान के अनुसार 06 माह में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें ।
5. विंड मिल की दिशा मे अस्थाई सरंचना की कर्टेन वाल बनाई जायें।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी स्वास्थय केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा की जावेगी।	60,000
जैविक खाद के साथ श्रीअन्न, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग एवं प्रोत्साहन प्रशिक्षण 6 माह में कृषि विज्ञान केंद्र में काराया जाएगा।	10,000
ज्वजंस	70,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण।	चिरोल, नीम, पुतराजिवा, कारंज, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	00
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु ।	सीताफल, आवलॉ, अमरूद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां।	1050
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 1.5 मीटर)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, अमलताश, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां। (पूर्ण सुरक्षा सहित)	150
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

25. <u>Case No. P2/582 /2024 Shri Pratik Agrawal, Director, BNA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED, R/o- 30, Tulsi Hindu Housing Society, Tapi Nagar Bhusawal, District-Jalgaon (Maharashtra). Prior Environment Clearance for Stone Quarry and Murrum in an area of 4.00 ha. (Stone – 150000 m3/Year and Murrum – 76895 m3/Year) (Khasra No. 1552) Village - Ichhapur, Tehsil- Burhanpur, District- Burhanpur (M.P.) B-2, TP for 02 years.</u>

प्रस्तावित **<u>Stone</u>** खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसें आज दिनांक 02.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक **<u>Shri Pratik Agrawal, online</u>** उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Pratik Agrawal, Director, BNA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED, R/o- 30, Tulsi Hindu Housing Society, Tapi Nagar Bhusawal, District-Jalgaon (Maharashtra)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1552 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village - Ichhapur, Tehsil- Burhanpur, District- Burhanpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 103 दिनांक 07/02/24 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Gitti – 1,50,000 m3/Year and Murrum/Soil – 76895 m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Gitti – 150000 m3/Year and Murrum/Soil – 76895 m3/Year है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 135 दिनांक 13/2/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 135 दिनांक 13/2/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 135 दिनांक 13/2/2024 अनुसार 500 मीटर की	

	परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ईच्छापुर (देवी) जिला बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 23/12/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	PP submitted that the lease area is on small hillock of 10 m height where tree occupied area within the lease lease about 23 trees and 40 shrubs are existing and these shall be left as non- mining area (about 1.5 ha.). Another lease is existed in the north direction which was allotted for TP purposed, at present it is not working .
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	East drain 130 m
	North –West- drain 120m
	East – kachha road -100 m & isolated huts - 154m
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 134 दिनांक 13/2/2024 की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ लिया जावेगा ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान शासकीय भूमि (अस्थायी अनुज्ञा) पर आवंटित है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि चूकी प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण तीन माह में पूर्ण कराया जाये एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तातंरित कर दी जावें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Gitti – 1,50,000 m3/Year and Murrum/Soil – 76,895 m3/Year ।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 21.10 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 3.37 लाख प्रति वर्ष ।
3. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें खनन् योग्य क्षेत्र 2.5 हे. बताया गया हैं। उक्त संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन् योजना में भू–परिवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. **यदि उत्पादन में कोई अंतर होता है तो खनिज अधिकारी से भू प्रवेश के पूर्व उक्त कार्य को खनन योजना में संशोधन करा लिया जावे।**
5. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
6. बैंचेस/बेरियर जोन कार्य माईन प्लान के अनुसार 06 माह में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें ।
7. प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण तीन माह में पूर्ण कराया जाये एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तातंरित कर दी जावें।
8. निम्नानुसार 4870 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्यक्रम (सतत् सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव, फेसिग तथा रख–रखाव के साथ प्रथम वर्ष मे अनिवार्य रूप से किया जाये एंव आगामी 02 वर्षो की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा की जायः–

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोनमें	नीम , खमेर , काला सिरिस, सिस्सू , करंज, चिरोल , सफेद सिरिस, पीपल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	865
2.	गैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण	नीम , खमेर , काला सिरिस, सिस्सू , करंज, चिरोल , सफेद सिरिस, पीपल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3000
3	ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल आदि।	950
4.	**ग्राम इच्छापुर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में**	**स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–** ***कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर. पुत्रंजीवा,*** **आदि। (पूर्ण सुरक्षा सहित)**	55

9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
ग्राम इच्छापुर स्थित ग्राम पंचायत में ग्राम आंगनबाड़ी कल्याण हेतु अधोसंरचना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी भूप्रवेश के 03 माह के अंदर प्रदान की जावेगी।	1,00,000
आयुष्मान आरोग्य मंदिर इच्छापुर में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र एवं स्वास्थ व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 03 माह के भीतर जमा की जावेगी।	70,000

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

26. Case No. P2/597/2024 Shri Rajendra Kumar Porwal, Project Manageger, M/s. P. D. AGRAWAL INFRASTRUCTURE LIMITED, 6, Sajeet Marg, Mandssaur, Madhya Pradesh, 458001, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry and Stone Quarry with a Production Capacity of Murrum 57404 m3/Year and Stone(Boulder) – 250000 m3/Year having a lease area of 3.848 hectare, at Khasra No. -869/1, 869/2, 869/3, 878/5, 878/6 Village -Karnawad, Tehsil- Bagli, District- Dewas (M.P.). TP for 02 Years .

प्रस्तावित **Murrum** खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 02.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Rajendra Kumar Porwal एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	P D AGRAWAL INFRASTRUCTURE LIMITED, 6, Sajeet Marg, Mandssaur, Madhya Pradesh, 458001	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	869/1, 869/2, 869/3, 878/5, 878/6 (Pvt Land)	3.848 hectare.
स्थल	Village -Karnawad, Tehsil- Bagli, District- Dewas (M.P.)	

735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 5040 दिनांक 29/2/2024 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Murrum 57404 m3/Year and Stone (Boulder) – 250000 m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Murrum 57404 m3/Year and Stone(Boulder) – 250000 m3/Year
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 5038 दिनांक 29/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 5042 दिनांक 29/02/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 5042 दिनांक 29/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में ग्रामीण कच्चा रास्ता प्रतिबंधित दूरी 10 मीटर की दूरी से दूर है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय अनुविभागी अधिकारी (राजस्व) बागली जिला देवास के पत्र क्रमांक 3238 दिनांक 28/8/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर निजी भूमि से शासकीय निर्माण कार्य के लिये मुरूम/पत्थर खनिज के उत्खनन् अनुज्ञा ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existed -05 Tree Felling - 01 Additional tree to be planted -10
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 5042 दिनांक 29/02/2024 अनुसार उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान शासकीय भूमि (अस्थायी अनुज्ञा) पर आवंटित है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि चूकी प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण तीन माह में पूर्ण कराया जाये एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तातंरित कर दी जावें।

735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **Murrum 57404 m3/Year and Stone(Boulder) – 250000 m3/Year** ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.47 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 2.99 लाख प्रति वर्ष ।
3. प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण तीन माह में पूर्ण कराया जाये एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तातंरित कर दी जावें।
4. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
5. बैंचेस/बेरियर जोन कार्य माईन प्लान के अनुसार 06 माह में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें ।
6. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
7. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
8. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
9. निम्नानुसार 4670 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्यक्रम (सतत् सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव, फेसिग तथा रख–रखाव के साथ प्रथम वर्ष मे अनिवार्य रूप से किया जाये एंव आगामी 02 वर्षो की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा की जायः–

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	**बैरियर जोन के अंतर्गत**	**स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसः– आवलाँ, कटहल, जामुन, आम , जामफल, जंगल जलेबी, आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।**	950
2.	**खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 200 मीटर तक**	**स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसः– करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब इत्यादि।**	135

3.	ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– *संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल* आदि।	3535
4.	ग्राम कर्णावद स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– *कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा,* आदि।	50

10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
ग्राम कर्णावद स्थित ग्राम पंचायत में ग्राम आंगनबाड़ी कल्याण हेतु अधोसंरचना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी भू प्रवेश के 03 माह के अंदर प्रदान की जावेगी।	1,20,000/-
आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर्णावद में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र एवं स्वास्थ व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 03 माह के भीतर जमा की जावेगी।	1,20,000/-

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

27. **Case No. P2/609/2024 Shri Naina Ram Bishnoi, Partner, DHAYAL CONSTRUCTION COMPANY. S/o Teja Ram, Jayrup Nagar Benan, Pipar City, Benan Jodhpur, Chodhan, Rajasthan, 342601. Prior Environment Clearance for Stone Quarry with a Production Capacity of STONE – 59347 m3/Year. having a lease area of 1.00 hectare, at Khasra No. 329 Village- Siwana, Tehsil- Khandwa, District - Khandwa (M.P.).**

प्रस्तावित Stone खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 02.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Naina Ram Bishnoi, online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पांडा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट साल्यूशन इंडिया प्रा.लि.गाजियाबाद (उ.प्र) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Naina Ram Bishnoi, Partner, DHAYAL CONSTRUCTION COMPANY. S/o Teja Ram, Jayrup Nagar Benan, Pipar City, Benan Jodhpur, Chodhan, Rajasthan, 342601	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	329 (निजी भूमि)	1.00 hectare.
स्थल	Village- Siwana, Tehsil- Khandwa, District - Khandwa (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खंडवा के पत्र क्रमांक 1370 दिनांक 01/2/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा STONE – 59347 m3/Year घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार STONE – 59347 m3/Year.	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खंडवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1578 दिनांक 13/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खंडवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1578 दिनांक 13/03/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खंडवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1578 दिनांक 13/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सिवना जिला खंडवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 12 दिनांक 11/01/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 1650 दिनांक 18/03/2024 अनुसार उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में	

	उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि परिवेश पोर्टल पर जो गूगल अर्थ मेप अपलोड़ है उसके आक्षांश'देशांश का मिलान खनन् योजना के आक्षांश'देशांश से नही होता अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि जिला खनिज अधिकारी से खदान के प्रमाणित अक्षांश–देशांस प्रस्तुत करें, जिससे परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण पर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

28. <u>Case No 9294/2022 Shri Dilip Singh Rao, Director, M/s Ravi Infrabuild Projects Pvt. Ltd, 95, Hiran Magri Sector-11, Dist. Udaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.0 ha. (1,29,360 cum per annum) (Khasra No. 1/7) Village - Bolkheda, Tehsil - Jharda, Dist. Ujjain, (MP). –For - EC validity Extension .</u>

प्रकरण समिति की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी ।

समिति के समक्ष आज दिनांक 02/04/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

<u>समिति ने प्रकरण का पुनः परिक्षण द्वारा पाया की–</u>

- प्रकरण समिति की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी ।

- प्रकरण में सिया के EC Identification No. EC22B001MP132229 Date: 09/11/2022 के द्वारा उत्पादन क्षमता पत्थर 1,29,360 cum per annum हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी वैधता दिनांक 03.12.2023 तक थी ।

- परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर फार्म–6 के साथ लीज नवीनीकरण आदेश दिनांक 23/02/2024 के द्वारा दिनांक 08/6/2024 तक लीज की वैधता अवधि बढाई गई है की प्रति, ईएमपी, पीएफआर एवं अनुमोदिन खनन् योजना, पूर्व पर्यावरणीयय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवधि बढ़ाये (<u>For 06 months EC Extension</u>) जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।**

735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

- **आवेदक के आवेदन दिनांक 15.02.2024 के साथ उनके द्वारा एन.एच.ए.आई का पत्र दिनांक 17.10.2022 संलग्न किया गया है। अनुमोदन के दौरान Appointed Date उपलब्ध नही होने से अनुबंध दिनांक से योजना कि वैधता की अवधि की गणना की गयी थी। अतः यह शुद्धि पत्र जारी किया जाता है कि Appointed Date 17.10.2022 उल्लेखित होने से अस्थाई उत्खनन अनुज्ञा की खनन योजना के स्वीकृत पत्र में योजना कि वैधता दिनांक 03.12.2023 के स्थान पर Appointed Date 17.10.2022 से 600 दिवस अर्थात दिनांक 08.06.2024 तक वैध होगी।**

- PP submitted that Mining Plan Validity has extended upto 08.06.2024 by Regional Head, DGM letter vide no. 102 dat 23.02.24 .

परियोजना प्रस्तावक ने पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई शर्तों के पालन प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया

ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
जल रोकने वाली सरचना से 200 मीटर तक हरित क्षेत्र का विकास करना था	परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	कार्य शेष है
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र , परिवहन मार्ग में पौधरोपण शेष है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	05 कार्य करने थे जिसमे से मात्रा

	स्वस्थ शिविर लगाने का कार्य किया गया।
क्रेशर लीज के बहार लगाया गया है	..
पर्यावरणीय **सुरक्षा के कार्य**	शेष है

समिति परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिए की पूर्व शर्तो का पालन 06 माह में पूर्ण करैं इन शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवधि 06 **माह** बढ़ाये जान अनुशंसा **करती है।**

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू.10.71 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.54 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 5माह में पूर्ण किये जाय :–

क्र.	सीईआर गतिविधिया	राशि रु. में	कार्य हुआ	Remark
1	ग्राम बोलखेड़ा के स्कूल की पुताई	80000	0	आगामी 5 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा
2	ग्राम पंचायत एवं सामूहिक भवन में सोलर लाइट	20000	0	आगामी 5 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा
3	ग्राम वासियों की स्वस्थ जाँच कैम्प।	25000	25000	पूर्ण किया गया

	कुल	1,25,000	25000	100000/-

इसके अतरिक्त ग्राम बोलखेड़ा की गौ.शाला को 50000/- रुपए की मिटटीए आंगनवाड़ी को 50000/- की राशि एवं ग्राम वासियो के लिए रोड सुधार का कार्य भी किया गया हैए कुल 150000 का अतरिक्त कार्य ग्राम पंचायत के सुझाव से किये गए है जिसके प्रमाण पत्र MPSEIAA में प्रस्तुत कर दिए जायेंगे।

ग्राम बोल्खेडा में लगाए जाने वाले पेड़ों की कुल संख्या 4800 में 750 वृक्षों का रोपण हुआ शेष 4050 वृक्षों का रोपण आगामी 5 माह में लगाए जाएंगे

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)	रोपण हुए (संख्या में)	**Remark**
1	खदान के बैरियर जोन में (7.5m. X 795m.)	सागौन, महारूख, सलाई, नीलगिरी सुबबूल, एवं बांश	1500	250	1250 आगामी 5 माह में लगाए जाएंगे
2	खदान के परिवहन मार्ग एवं मुख्य मार्ग में वृक्षारोपण (पौंधो की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), बांश एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री-गार्ड के साथ	500	500	पूर्ण किया गया
3	बोल्खेडा स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक	300	0	आगामी 5 माह में लगाए जाएंगे
4	बोल्खेडा एवं काबरिया खेडी के ग्राम वासियों में पौंधो का वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम	2500	0	आगामी 5 माह में लगाए जाएंगे

29. <u>Case No 9295/2022 Shri Dilip Singh Rao M/s Ravi Infrabuild Projects Pvt. Ltd, 95, Hiran Magri Sector-11, Dist. Udaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.90 ha. (1,17,600 cum per annum) (Khasra No. 116) Village - Khoriya Padma, Tehsil - Jharda, Dist. Ujjain (MP). For - EC validity Extension .</u>

प्रकरण समिति की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी ।

समिति के समक्ष आज दिनांक 02/04/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

<u>समिति ने प्रकरण का पुनः परिक्षण द्वारा पाया की–</u>

- प्रकरण समिति की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी ।
- प्रकरण में सिया के EC Identification No. EC22B001MP16999 Date: 09/11/2022 के द्वारा उत्पादन क्षमता पत्थर 1,17,600 cum per annum हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी वैधता दिनांक 03.12.2023 तक थी ।
- परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर फार्म–6 के साथ लीज नवीनीकरण आदेश दिनांक 23/02/2024 के द्वारा दिनांक 08/6/2024 तक लीज की वैधता अवधि बढाई गई है की प्रति, ईएमपी, पीएफआर एवं अनुमोदिन खनन् योजना, पूर्व पर्यावरणीयय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवधि **(<u>For 06 months EC Extension</u>)** बढ़ाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।
- PP submitted that Mining Plan Validity has extended upto 08.06.2024 by Regional Head, DGM letter vide no. 105 dat 23.02.24 .
-

735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

- **आवेदक के आवेदन दिनांक 15.02.2024 के साथ उनके द्वारा एन.एच.ए.आई का पत्र दिनांक 17.10.2022 संलग्न किया गया है। अनुमोदन के दौरान Appointed Date उपलब्ध नही होने से अनुबंध दिनांक से योजना कि वैधता की अवधि की गणना की गयी थी। अतः यह शुद्धि पत्र जारी किया जाता है कि Appointed Date 17.10.2022 उल्लेखित होने से अस्थाई उत्खनन अनुज्ञा की खनन योजना के स्वीकृत पत्र में योजना कि वैधता दिनांक 03.12.2023 के स्थान पर Appointed Date 17.10.2022 से 600 दिवस अर्थात दिनांक 08.06.2024 तक वैध होगी।**

- PP submitted that Mining Plan Validity has extended upto 08.06.2024 by Regional Head, DGM letter vide no. 105 dat 23.02.24 .

परियोजना प्रस्तावक ने पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई शर्तों के पालन प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया

ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
जल रोकने वाली सरचना से 200 मीटर तक हरित क्षेत्र का विकास करना था	परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	कार्य शेष है
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र , परिवहन मार्ग में पौधरोपण शेष है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	05 कार्य करने थे जिसमे से मात्रा

	स्वस्थ शिविर लगाने का कार्य किया गया।
क्रेशर लीज के बहार लगाया गया है	..
पर्यावरणीय **सुरक्षा के कार्य**	शेष है

समिति परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिए की पूर्व शर्तो का पालन 06 माह में पूर्ण करें इन शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवधि 06 **माह** बढ़ाये जान अनुशंसा **करती है।**

3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू.8.41 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.34 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 5माह में पूर्ण किये जाय :–

क्र.	सीईआर गतिविधिया	राशि रु. में	कार्य हुआ	Remark
1	ग्राम **खोरिया-पदमा** के आंगनवाड़ी की पुताई एवं मरम्मत द्य	50000	0	आगामी 5 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा
2	ग्राम वासियों को नल जल योजना में दिए गए पानी कनेक्शन में टोटियो नहीं दी गई हैए पानी के संरक्षण हेतु नल की टोटियो का बितरण द्य 500 X 30	15000	0	आगामी 5 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा

3	ग्राम वासियों की स्वास्थय जाँच कैम्प	25000	25000	पूर्ण किया गया
	कुल	90,000	25000	65000/-

ग्राम खोरिया-पदमा में लगाए जाने वाले पेड़ों की कुल संख्या 3500 में 350 वृक्षों का रोपण हुआ शेष 3150 वृक्षों का रोपण आगामी 5 माह में लगाए जाएंगे

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)	रोपण हुए (संख्या में)	Remark
1	खदान के बैरियर जोन में (7.5m. X 795m.)	सागौन, महारूख, सलाई, नीलगिरी सुबबूल, एवं बांश	1200	250	950 आगामी 5 माह में लगाए जाएंगे
2	खदान के परिवहन मार्ग में वृक्षारोपण (पौंधो की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), बांश एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय | ट्री-गार्ड के साथ	600	100	500 आगामी 5 माह में लगाए जाएंगे
3	खोरिया पदमा स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक	200	0	200 आगामी 5 माह में लगाए जाएंगे

4	खोरिया-पदमा एवं नलखेडा के ग्राम वासियों में पौधो का वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम	1500	0	1500 आगामी 5 माह में वितरण करंगे

- ❖ वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव) ।
- ❖ वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जायेगा।
- ❖ लीज बाउंड्री (680मी.) के चारो ओर नेट वायर फेंसिंग की जाएगी।
- ❖ गारलैंड ड्रेन के समानांतर नीम बबूल व प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा के बीज बोई जाएगी

30. <u>Case No P-2/504/24 SHRI MANNA YADAV, R/o- Gram- Bedmau, Tehsil- Badarwas, District- Shivpuri, M.P, 473770, Prior Environment Clearance for Flag stone quarry with a Production capacity of 4,899 cubic meters per year flagstone, having a lease area of 2.00 Ha. Khasra no. -191, 192, 193 & 496 (Pvt. land), Vill- Bedmau, Tehsil- Badarwas District- Shivpuri (M.P.). DEIAA CASE.</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक SHRI MANNA YADAV एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	SHRI SHRI MANNA YADAV, R/o- Gram- Bedmau, Tehsil- Badarwas, District- Shivpuri, M.P, 473770, Prior Environment Clearance for Flag stone quarry with a Production capacity of 4,899 cubic meters per year flagstone, having a lease area of 2.00 Ha. **EC was issued by DEIAA Shivpuri** at Khasra no. -191, 192, 193 & 496 (Pvt. land), Village- Bedmau, Tehsil- Badarwas and District- Shivpuri (M.P.). SIA/MP/MIN/457386/2023.	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 191, 192, 193 & 496.	एरिया– 2.00 ha., निजी भूमि सहमति प्राप्त श्री मोहनलाल पुत्र श्री खेमालाल आदीवासी (सेहर).
परियोजना स्थल	Village- Bedmau, Tehsil- Badarwas and District- Shivpuri (M.P.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 5957 दिनांक 17/08/2020.	

735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

परियोजना की श्रेणी	**बी–2.** Now we are applying for fresh EC in SEIAA as per the Honourablte NGT OA 142 of 2022, dated 07/12/2022.
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	Valid up to 22/11/2027.
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Not Applicable.
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	EC was issued by DEIAA Shivpuri Vide letter No. 16/18 dated 05/02/18.
उत्पादन क्षमता	• Flagstone – 4,899 Cubic meters per year –BLASTING IS NOT PROPOSED
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र 1456 दिनांक 13/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत है जिनका कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र 1456 दिनांक 13/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र 1456 दिनांक 13/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत –बेदमऊ बुर्जुग, जिला – ग्वालियर का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 08 दिनांक 06/02/2009 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	PP submitted that a hallage road is passing within their lease area . दक्षिण दिशा– Habitation – 90 m PP has proposed 10 m set back.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 21 के सरल क्रमांक – 09 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। (30%)
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।

735वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 अप्रैल 2024

गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	नहीं पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	30 trees are planted in the Barrier Zone)
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **Flagstone – 4,899** घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.84 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.68 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. **माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से MMR Rules अनुसार कार्य किया जावें।**
5. लीज क्षेत्र से खेत लगे हुए है, अतः वहॉ अस्थाई सरंचना की कर्टेनवाल बनाई जाये एवं जिसे खनन् की दिशा में समय–समय पर प्रतिस्थापित किया जा सके, जिससे खनन् से उत्पन्न होने वाली धूल से कृषि प्रभावित न हो ।
6. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
7. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
8. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
ग्राम **बेदमऊ के शासकीय विद्यालय के विकास हेतु पालक शिक्षा संघ में ल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह में जमा करवाई जावेगी**	**40,000/-**

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400.वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसः–आंवला, सीताफल, गुआवा, आमए कटहलए मुनगाहाइब्रिडए महुआअचारआदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	700
2	खदान क्षेत्र के परिवहनमार्ग के दोनोंओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसः–नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज,पाकर, पीपलआदिअन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री–गार्ड के साथ	140
3	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदि।	1460
4	ग्राम के पंचायत बेदमऊ में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–पुत्रंजीवामोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदि।	50
5	ग्राम के शासकीय माध्यमिक विद्यालय बेदमऊ में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–पुत्रंजीवामोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदि।	50
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.

q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
    - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
    - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
    - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
    - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीविता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊॅचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

.

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे